प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 11.05.2025**

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूटपाट की घटनाओं को कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग की घटनाओं से सम्बन्धित 48,750/- रूपये नगद, घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल व लूट के 02 एटीएम कार्ड बरामद।

ट्रांस हिंडन जोन में लूटपाट व चैन स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा प्रतिदिन की तरह सघन चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग दिनांक 10/11.05.2025 की रात्रि को हिंडन पुल की तरफ से आते हुए एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रुकने का इशारा किया गया परन्तु युवक नही रुका तथा मोटर साइकिल को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया गया तभी मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी, जिसे पकडने का प्रयास किया गया तो भाग रहे व्यक्ति द्वारा अचानक मुड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से निशाना लगाते हुये अपने हाथ में लिये हथियार से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते व बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिससे अभियुक्त नसीमुद्दीन उर्फ बड्डा पुत्र निजाम निवासी ग्राम मीठेपुर थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर, मूल निवासी मंगल गार्डन पीपलहेडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ के पैर में गोली लगी जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया, तत्पश्चात बिना देरी किये पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 10/11.05.2025 को 01 अवैध पिस्टल, व 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट की घटनाओं से संबंधित 48,750/- रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट चोरी की 01 मोटरसाइकिल व लूट के 02 एटीएम कार्ड बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त नसीमुद्दीन उर्फ बड्डा उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर/गाजियाबाद में की गई लूट/स्नैचिंग से सम्बन्धित घटनाओं को कारित करना इकबाल किया गया।

पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्त नसीमुद्दीन उर्फ बड्डा ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी की मोटरसाइकिल से गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में राह चलते महिलाओं/व्यक्तियों से उनके चैन/मोबाईल फोन लूटने की घटना कारित करता हूँ तथा लूट/झपटमारी से प्राप्त सामान को सस्ते दामों में बेचकर पैसे अपने शौक में खर्च कर लेता हूँ। आज जो धनराशि मुझसे प्राप्त हुई है वह मैंने अभी जल्दी में दिल्ली/गाजियाबाद से जो लूट की घटना कारित करके जो सम्पत्ति मिली थी उसे बेचकर बची हुई धनराशि है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

नसीमुद्दीन उर्फ बड्डा पुत्र निजाम निवासी ग्राम मीठेपुर थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर, मूल निवासी मंगल गार्डन पीपलहेडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग की घटनाओं से सम्बन्धित 48,750/- रूपये नगद, घटनाओ में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल व लूट के 02 एटीएम कार्ड बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

गिरफ्तार अभियुक्त नसीमुद्दीन उर्फ बड्डा के विरुद्ध जनपद मेरठ में आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, लूट के 04 अभियोग, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, जनपद हापुड़ में आर्म्स एक्ट, लूट व हत्या के प्रयास के 03 अभियोग, कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम में लूट/स्नैचिंग के 02 अभियोग, थाना सिहानी गेट में लूट व स्नैचिंग के 02 अभियोग, थाना मधुबन बापूधाम में लूट का 01 अभियोग, थाना कविनगर में लूट का 01 अभियोग, थाना मसूरी में लूट व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग, थाना मुरादनगर में स्नैचिंग का 01 अभियोग, थाना मोदीनगर में स्नैचिंग का 01 अभियोग व दिल्ली राज्य में लूट के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम द्वारा इन्श्योरेन्स पॉलिसी एप में छेड़छाड़ कर 12 इन्श्योरेन्स कम्पनियों की कूटरचित इन्श्योरेन्स पॉलिसी बनाने वाले गैंग के 02 सदस्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन एवं 84 कूट रचित थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी बरामद।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा इन्श्योरेन्स कम्पनियों की पॉलिसी बनाने वाले मोबाइल एप में छेड़छाड़ कर कूटरचित इन्श्योरेन्स पॉलिसी बनाकर साइबर अपराध करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त सरताज पुत्र नजीर अहमद व दीपक ठाकुर पुत्र दिगम्बर को कूट रचित इन्श्योरेन्स पॉलिसी तथा मोबाइल फोन के साथ आर टी ओ ऑफिस रोडवेज वर्क शॉप के सामने इण्डस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.03.2025 को श्री संजय ठाकुर ICICI Lombard General Insurance के Vice President द्वारा गाजियाबाद के पॉलिसी एजेन्ट द्वारा उनकी कम्पनी के इन्श्योरेन्स एप में छेड़छाड़ कर वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों, माल वाहक वाहनों को दोपहिया वाहन दिखाकर फर्जी कूट रचित इन्श्योरेन्स पॉलिसी तैयार करने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने बताया कि आरटीओ ऑफिस में वाहन की एनओसी हेतु तथा वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों, माल वाहक वाहनों के स्वामी द्वारा वाहन के पुराने हो जाने पर इन वाहनों का थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स कराया जाता है। चार पहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी मंहगी होने के कारण ये अभियुक्त इन्श्योरेन्स पॉलिसी एप में छेड़छाड़ कर चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं0 के साथ दो पहिया वाहन की डिटेल भरकर कम मूल्य की थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी बनाते थे। उसके बाद उस पालिसी को एडिट कर चार पहिया वाहन की डिटेल भरकर पालिसी धारक को वास्तविक अधिक मूल्य की कूटरचित पालिसी दे देते थे। इन इन्श्योरेन्स पॉलिसी का एक्सीडेन्ट होने

पर थर्ड पार्टी क्लेम न्यायालय से लेने के अलावा अन्य कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन कूटरचित थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी को ऑनलाइन चेक करने यह पॉलिसी वैध पॉलिसी दिखती थी। चूंकि इन पॉलिसियों से क्लेम अक्सर नहीं लिया जाता है, अतः इन पॉलिसियों के विवरण का सत्यापन नहीं हो पाता है तथा कम मूल्य की जनरेटेड पॉलिसी वाहन के इन्श्योरेन्स होने की पुलिस/आरटीओ चेकिंग आदि में ऑनलाइन जरूरत को पूरी कर देता है। पॉलिसी धारक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि उसकी पॉलिसी कूटरचित है। पुलिस/आरटीओ चेकिंग के दौरान चालान एप पर भी केवल वाहन की बीमा की वैधता तिथि प्रदर्शित होती है, पॉलिसी की विस्तृत डिटेल प्रदर्शित नहीं होता है। इसी बात का फायदा उठाकर अभियुक्त गण सरताज पुत्र नजीर अहमद व दीपक ठाकुर पुत्र दिगम्बर आरटीओ आफिस में वाहनों को कॉमर्शियल वाहन से प्राइवेट वाहन में परिवर्तित कराने, वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों, माल वाहक वाहनों के वाहन स्वामी से इन पुराने वाहनों के थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स कराने के लिये डिटेल प्राप्त कर विभिन्न कम्पनियों की इन्श्योरेन्स पॉलिसी जनरेट करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन में छेड़छाड़ कर चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं0 के साथ दो पहिया वाहन की डिटेल भरकर कम मूल्य की थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी बनाते थे। ये लोग कम मूल्य के कूटरचित दोपहिया वाहन के रूप में बनाई थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी की जगह पुन: कम्प्यूटर से उसी वाहन की वास्तविक पॉलिसी मूल्य की कूटरचित पॉलिसी तैयार कर वाहन स्वामी को दे देते थे। इस प्रकार ये लोग प्रति वाहन करीब 15 हजार से 20 हजार रुपये बचा कर आपस में बाँट लेते थे।

इन अभियुक्तों द्वारा ICICI Lombard General Insurance के अलावा Magma HDI General Insurance, Chola MS General Insurance, Reliance General Insurance, Bajaj Allianz, Tata AIG Insurance, Zuno, National Insurance, SHRIRAM General Insurance Company Limited, HDFC Ergo, Royal Sundaram General Insurance, SBI General Insurance की भी कूटरचित थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी तैयार की गयी है। अभियुक्तों के मोबाइल से विभिन्न इन्श्योरेन्स कम्पनियों के 84 कूट रचित थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी बरामद हुए हैं।

विवेचना से इस गैंग के द्वारा पूरे भारत में 25,000 से भी अधिक कूटरचित इन्श्योरेन्स पालिसियों बनाने, जिनमें गाजियाबाद के 100 से अधिक वाहनों की कूटरचित पॉलिसी बनाने के तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं। विभिन्न इन्श्योरेन्स कम्पनियों के अधिकारियों से सम्पर्क कर कूटरचित पॉलिसियों का डाटा प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त सरताज पुत्र नजीर अहमद निवासी 390 सराय देहली गेट थाना ब्रह्मपुरी मेरठ व अभियुक्त दीपक ठाकुर पुत्र दिगम्बर ठाकुर निवासी बी 193 बाग वाली कॉलोनी शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद को दिनांक 10.05.2025 को आर टी ओ ऑफिस रोडवेज वर्क शॉप के सामने इण्डस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

इस गैंग के अभियुक्त विकास कश्यप और आकाश सिसोदिया को दिनांक 09.03.2025 एवं अभियुक्त याकूब, आरिम अली को दिनांक 10.03.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सरताज पुत्र नजीर अहमद निवासी 390 सराय देहली गेट थाना ब्रह्मपुरी मेरठ उम्र 51 वर्ष, शिक्षा – बी0काम0।
2. दीपक ठाकुर पुत्र दिगम्बर ठाकुर निवासी बी 193 बाग वाली कॉलोनी शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष, शिक्षा – बी0ए0।

गिरफ्तारी स्थान –

आरटीओ ऑफिस रोडवेज वर्क शॉप के सामने इण्डस्ट्रियल एरिया थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल फोन एवं 84 कूट रचित थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पॉलिसी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर जोन द्वारा गांजा तस्करी करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 20 kg गांजा एवं घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

दिनांक 10.05.2025 को थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस व स्वाट टीम नगर जोन द्वारा चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्त फारुख मलिक, विकास कुमार उर्फ गुल्लु, इरफान, जितेन्द्र कुमार उर्फ बोबी को रैपिड मैट्रो लाईन के नीचे विजय नगर कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कार की डिग्गी में रखा 20 kg गांजा बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रह है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो चारों ने मिलकर बताया कि हम लोग मिलकर उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा लाकर उनकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर महगें दामों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

नाम पता अभियुक्त-

1- फारुख मलिक पुत्र समसुद्दीन निवासी सिरोरा थाना अनुपशहर जिला बुलन्दशहर उम्र वर्ष 26
2- विकास कुमार उर्फ गुल्लु पुत्र महिपाल सिंह निवासी म 0न0 262 ग्राम भैसा पुर थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष
3- इरफान पुत्र मम्माजान निवासी मौहल्ला गढ़ी निकट सराय तरीन चौराहा थाना हयातनगर जिला सम्भल उम्र वर्ष 28
4- जितेन्द्र कुमार उर्फ बोबी पुत्र त्रिलोक चन्द्र शर्मा निवासी सैम0न0 36303 ब्रह्मपुत्र एन्कलेव सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर 07 0 जिला गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 20 किलोग्राम गांजा
- घटना में प्रयुक्त 01 कार

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम
स्वाट टीम नगर जोन

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 11.05.2025 की रात्रि को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त सद्दाम पुत्र इस्लाम निवासी सोफिया पब्लिक स्कूल के पास पसौण्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब -28 वर्ष को डिफेन्स कॉलोनी कट के पास थाना टीलामोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सद्दाम ने बरामद उक्त स्कूटी को करीब 06 माह पूर्व दिल्ली से चोरी किया था। जिसे आज दिनांक 11.05.2025 को बेचने की फिराक में डिफेन्स कॉलोनी कट के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सद्दाम पुत्र इस्लाम निवासी सोफिया पब्लिक स्कूल के पास पसौण्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम पुत्र इस्लाम के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर आयुध अधिनियम के 03 अभियोग व चोरी के 02 अभियोग, थाना कौशाम्बी पर चोरी का 01 अभियोग, थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग व थाना थेफ्ट क्राईम ब्रांच दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग कुल 09 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।